मा0 न्यायालय प्रकरण/महत्वपूर्ण/ई-मेल

संख्या- 371 रिट/छः-पु0-3-2025-1973397

प्रेषक,

दीपक कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, क़ानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः21 सितम्बर, 2025

विषयः पुलिस अभिलेखों में जाति के अंकन, जातीय आधारित सार्वजनिक संकेतों एवं जातीय प्रदर्शनों के निवारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि एक सर्वसमावेशी, संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल व्यवस्था, उत्तर प्रदेश सरकार की घोषित नीति है । इस हेतु यह आवश्यक है कि समाज में व्याप्त जातिगत विभेदकारी प्रवृत्तियों के उन्मूलन के दृष्टिगत पुलिस अभिलेखों एवं सार्वजनिक संकेतों में जाति आधारित अंकन एवं प्रदर्शन रोका जाए तथा जातीय प्रदर्शनों द्वारा जातीय संघर्ष प्रेरित करने वाले तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।

2. उल्लेखनीय है कि क्रिमिनल मिस. अप्लीकेशन 482 संख्या-31545/2024 प्रवीण छेत्री बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 16.09.2025 के माध्यम से पुलिस के अभिलेखों में अभियुक्तों की जाति का उल्लेख न किये जाने तथा वाहनों, सार्वजनिक स्थानों पर साइन बोर्ड्स, सोशल मीडिया आदि में जातीय महिमामंडन से सम्बन्धित निम्नवत निर्देश दिए गए हैं :-

"..... 51. Based on the aforesaid deliberations, the

government may prepare a regulated framework to regulate and amend the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) to explicitly ban caste-based slogans and caste identifiers on all private and public vehicles. Issue uniform circulars to RTOs and traffic departments across the state to enforce the removal of caste signage and impose heavy fines, which may act as a deterrent. Strengthen provisions under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, to flag and act against caste-glorifying, hate-inducing content on social media. Support media literacy and anti-casteism campaigns targeting youth on platforms like Instagram, YouTube, and WhatsApp. May set up a Monitoring and Reporting Mechanism for citizens to enable them reporting portals and mobile apps to anonymously report violations in collaboration with (i) Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH), (ii) Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), (iii) Press Council of India, and (iv) Civil society organizations working on caste equity and digital rights.

DIRECTIONS FOR UTTAR PRADESH GOVERNMENT

(a) In para-6, the name of the mother of the complainant/informant, along with the Father's/Husband's Name, shall be added in the Format of FIR. (Reference: Page 7 of the Counter Affidavit)

(b) In para-3, the name of the mother shall be added along with the name of the Father/Husband of the person who has shown the place of 25 482 No.31545 of 2024 occurrence. Column No. 8 of para 5 shall be deleted from the format of the Crime Details Form.

(Reference: Page 11 of the Counter Affidavit).

(c) Name of mother shall be added in para-5 & 6 of the Property Seizure Memo along with the name of Father/Husband. (Reference: Page 17 of the Counter Affidavit).

(d) In Para 6(1), the name of the mother of the accused shall be added along with the name of the Father's/ Husband's Name, whereas Para 6(9) and 6(10) shall be deleted from the Arrest/Court Surrender Memo. (Reference: Page 19 of the Counter Affidavit)

(e) In Para 8 (Kha), the name of the mother of the complainant/informant shall be added along with Father's/Husband's Name, and Para 10 (vii) shall stand deleted so far as the requirement of SC/ST/OBC is concerned from the Police Final Report. Likewise, similar changes shall be made in the paragraph. 11. (Reference: Page 22 & 23 of the Counter Affidavit).

(f) In brief, the entries, in paragraph and column pertaining to the requirement of caste or tribe shall stand deleted, whereas the Mother's Name shall be added along with the name of father and husband in all the aforesaid FORMATS annexed with the counter affidavit filed by Director General of Police, UP.

(g) It's learnt that the notice board installed at all the police stations of Uttar Pradesh carries a column of the caste against the name of the accused; the government shall issue an appropriate order to delete (erase) the same with immediate effect immediately after receipt of the copy of this order.

(h) It is also brought to the court's notice that in rural India, sub-urban towns (Kasbas and Tehsils), and even in certain colonies of district headquarters, certain disgruntled elements—driven by false caste pride and caste narcissism—have installed signboards glorifying caste and declaring specific geographical areas as caste territories or estates. Such 26 482 No.31545 of 2024 signboards or proclamations must be removed forthwith, and strict measures should be taken to ensure that no such boards are erected or installed in the future. A formal regulation to this effect should be framed at the earliest by the competent authority.

52. The ACS (Home) in consultation with the DGP, Uttar Pradesh shall frame and implement Standard Operating Procedures (SOPs) to implement aforesaid guidelines, and amend police manuals/regulation, if necessary, to prohibit the caste disclosure in investigations and public records of complainant/informant, accused and witnesses, however, complainant(s)/informant(s) are exempted only in cases where there is a statutory requirement for mentioning caste, like in cases registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, and other public records. "....

3. मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एवं शासन की नीति के आलोक में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:-

(1) सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रयोग किये जा रहे प्रारूपों में अभियुक्तों की जाति अंकित करने सम्बन्धी Field को Delete करने तथा अभियुक्त के पिता के नाम के साथ माता का नाम भी अंकित किये जाने हेतु सीसीटीएनएस पोर्टल में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु NCRB से पत्राचार

किया जाए।

(2) NCRB द्वारा सीसीटीएनएस में उपरोक्त व्यवस्था किये जाने तक डेटा प्रविष्टि करने वाले सभी कार्मिकों द्वारा सीसीटीएनएस में जाति सम्बन्धी सूचना अंकित करने के गैर अनिवार्य (Non Mandatory Field) को बिना भरे खाली छोड़ दिया जाए ।

(3) थानों के नोटिस बोर्ड्स पर अभियुक्तों के नाम के साथ उनकी जाति का उल्लेख न किया जाए ।

(4) बरामदगी पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो तथा व्यक्तिगत तलाशी मेमो आदि में भी अभियुक्तों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाए ।

(5) पुलिस द्वारा तैयार किये जाने वाले अभिलेखों आदि में अभियुक्त के पिता के नाम के साथ-साथ अभियुक्त की माता का नाम भी अंकित किया जाए ।

(6) वाहनों, सार्वजनिक स्थानों पर जाति के नाम अथवा जाति को महिमामंडित करने सम्बन्धी स्लोगन/स्टीकर आदि लगाकर चलने वाले वाहनों का केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1988 की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत चालान किया जाए ।

(7) कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों में, कतिपय तत्वों द्वारा जातिगत या अभिमान के कारण जाति का महिमामंडन करने वाले तथा भौगोलिक क्षेत्रों को जातिगत क्षेत्र या जागीर घोषित करने वाले साइनबोर्ड्स या घोषणाओं को तत्काल हटाते हुए भविष्य में ऐसे कोई भी बोर्ड्स आदि न लगाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएँ ।

(8) राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां आदि समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा देती हैं, जो "लोक-व्यवस्था" और "राष्ट्रीय एकता" के विपरीत हैं । इन पर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

(9) सोशल मीडिया पर किसी जाति को महिमामंडित करने तथा किसी जाति की निंदा करने वाली सोशल मीडिया संदेशों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से जातिगत द्वेष फैलाने अथवा जातिगत भावनाओं को उद्वेलित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

(10) यदि किसी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी बाध्यता होने पर जाति का नाम अंकित किये जाने की छूट प्रदान की गयी है, यथा: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कारित अपराधों की विवेचना करने वाले विवेचक अभियुक्त एवं पीड़ित की जाति

अंकित कर सकते हैं।

4. अतः निर्देश है कि विषयगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उक्त आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा पारित उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का तत्काल प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशिक्षित कर इस संबंध में व्यापक जागरूकता भी सुनिश्चित की जाए ।

भवदीय

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
Date: 21-09-2025
21:07:20

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उत्तर प्रदेश ।
(3) अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
(5) समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(6) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त अनुभाग, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गौरव दयाल)
सचिव।

Digitally signed by
GAURAV DAYAL
Date: 21-09-2025
21:16:46